



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082024-256168
CG-DL-E-08082024-256168

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3024]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/श्रावण 15, 1946

No. 3024]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/SHRAVANA 15, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

का. आ. 3173(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में NH 80 के कि.मी. 282.500 से कि.मी.283.000 (अपर जिलाधिकारी, (भूमि अर्जन), मुर्शिदाबाद) के गाँव - बेओ - 31 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन), कार्यालय - जिलाधिकारी सह समाहर्ता मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे

और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में NH80 के कि.मी. 282.500 से कि.मी. 283.000 (अपर जिलाधिकारी, (भूमि अर्जन), मुर्शिदाबाद) के गाँव - बेओ - 31 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: मुर्शिदाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: फरक्का					
गाँव का नाम: बेओ (जे.एल.नं.- 31)					
1	5010	निजी	अमन	0.16 (एकर)	0.0647511
2	5011	निजी	अमन	0.17 (एकर)	0.0687981
3	5012	निजी	अमन	0.42 (एकर)	0.1699717
4	5013	निजी	अमन	1.01 (एकर)	0.4087414
5	5022	निजी	डांगा	0.77 (एकर)	0.3116147
6	5023	सरकारी	डांगा	0.065 (एकर)	0.0263051
7	5024	निजी	डांगा	1.5725 (एकर)	0.636382
8	5025	निजी	अमन	0.18 (एकर)	0.072845
9	5026	निजी	अमन	0.12 (एकर)	0.0485633
10	5027	सरकारी	डांगा	0.16 (एकर)	0.0647511

11	5029	निजी	डांगा	0.1075 (एकर)	0.0435047
कुल योग					1.9162282

[फा. सं. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80/LA / PKG-II/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August ,2024

S.O. 3173 (E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 80 in the stretch of land from Km. 282.500 to Km. 283.000 (ADM (LA)Murshidabad) in the village - Beoa - 31 in the district of MURSHIDABAD in the state of WEST BENGAL, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (LA), Office of the District Magistrate & Collector, Murshidabad, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH80 in the stretch of land from Km. 282.500 to Km. 283.000 (ADM (LA), Murshidabad) in the village - Beoa -31 in the district of MURSHIDABAD in the state of WEST BENGAL.

State: WEST BENGAL			District: MURSHIDABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Farakka					
Village: Beoa (J.L. No.-31)					
1	5010	Private	Aman	0.16 (Acre)	0.0647511
2	5011	Private	Aman	0.17 (Acre)	0.0687981
3	5012	Private	Aman	0.42 (Acre)	0.1699717
4	5013	Private	Aman	1.01 (Acre)	0.4087414
5	5022	Private	Danga	0.77 (Acre)	0.3116147
6	5023	Government	Danga	0.065 (Acre)	0.0263051
7	5024	Private	Danga	1.5725 (Acre)	0.636382
8	5025	Private	Aman	0.18 (Acre)	0.072845

9	5026	Private	Aman	0.12 (Acre)	0.0485633
10	5027	Government	Danga	0.16 (Acre)	0.0647511
11	5029	Private	Danga	0.1075 (Acre)	0.0435047
Total					1.9162282

[F. N. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80/LA / PKG-II/3A]
ABHAY JAIN, Director